

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1054/2020
अनवान : -

1. रामदान पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. जीतराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्री जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धापा देवी पत्नी पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तरो पुत्री पतराम पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
6. कमलेश पुत्री पतराम पत्नी सतपाल जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
7. रामकुमार पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गोपीराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजबाला पत्नी राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. सोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बसकरो पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
13. अजय कुमार पुत्र राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 बरानी तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के दादा पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस धापा देवी (पत्नी), रामकुमार (पुत्र), जीतराम (पुत्र) गोपीराम (पुत्र), सन्तरो (पुत्री) कमलेश (पुत्री) व राजाराम (पुत्र) हुए जिनमे राजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है जिसकी घोषणा न्यायालय से करा पाने के अधिकारी है।



Rahul
अधीवक्ता
नोहर

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतराम के नाम दर्ज हो जो की वादी का दादा है वादी के दादा पतराम का देहान्त हो चुका है एवं पतराम के एक पुत्र राजाराम का भी देहान्त हो चुका है। पतराम के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के दादा पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस धापा देवी (पत्नी), रामकुमार (पुत्र), जीतराम (पुत्र) गोपीराम (पुत्र), सन्तरो (पुत्री) कमलेश (पुत्री) व राजाराम (पुत्र) हुए जिनमे राजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतराम के नाम दर्ज हो जो की वादी का दादा है वादी के दादा पतराम का देहान्त हो चुका है एवं पतराम के एक पुत्र राजाराम का भी देहान्त हो चुका है। पतराम के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमावे।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बारानी

तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के दादा पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस धापा देवी (पत्नी), रामकुमार (पुत्र), जीतराम (पुत्र) गोपीराम (पुत्र), सन्तरो (पुत्री) कमलेश (पुत्री) व राजाराम (पुत्र) हुए जिनमे राजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतराम के नाम दर्ज हो जो की वादी का दादा है वादी के दादा पतराम का देहान्त हो चुका है एवं पतराम के एक पुत्र राजाराम का भी देहान्त हो चुका है। पतराम के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीतराम का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा पतराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण के अनुसार पतराम का देहान्त हो चुका है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 ता 8 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 9 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1054/2020

अनवान : -

1. रामदान पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. जीतराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्री जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धापा देवी पत्नी पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तरो पुत्री पतराम पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
6. कमलेश पुत्री पतराम पत्नी सतपाल जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
7. रामकुमार पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गोपीराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजबाला पत्नी राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. सोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बसकरो पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
13. अजय कुमार पुत्र राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1054 सन 2020 निर्णय दिनांक 01/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बरानी तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 ता 8 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 9 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...01/04/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर